

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्र.क्र.: 768 / 2014
संस्थित दि: 22 / 08 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

- (01) पालेश पिता तानूलाल बघेल, उम्र 23 साल, जाति पवार
साकिन भोरवाही, थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(02) सूरज पिता सुरपत पन्दे, उम्र 36 साल, जाति गोंड,
साकिन सोनगुड्डा, थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपीगण

--:: निर्णय ::--

(आज दिनांक 22 / 08 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पालेश पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउटन्स-2) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 50(1)क/177 एवं आरोपी सूरज पर मोटरयान अधिनियम की धारा 50(1)ख/177 के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी पालेश ने दिनांक 16.05.2014 को समय करीब 9:30 बजे स्थान गाडर पुल परसवाड़ा मेन रोड थाना परसवाड़ा अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम. बी.1775 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं जागेश्वर, प्रतिभा को टक्कर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना बैध लायसेंस एवं बीमा के चलाया व उक्त वाहन का अंतरक होते हुए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना नहीं दी एवं आरोपी सूरज ने उक्त वाहन का अंतरिती होते हुए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना नहीं दी।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी जागेश्वर पटले ने दिनांक 16.05.2014 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम चीनी में वह रहता है तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता है। दिनांक 16.05.2014 को वह चीनी से बालाघाट उसकी पत्नी श्रीमति प्रतिभा के साथ मोपेड क्रमांक एम.पी.50/एम.डी.9081 से जा रहा था तो गाडर पुल के पास वाहन मोटरसाइकिल

क्रमांक एम.पी.50/एम.बी. 1775 का चालक पालेश बघेल तेजगति से उक्त वाहन को चलाते हुए लाया और उसकी मोपेड को टक्कर मार दी, जिससे उसे तथा उसकी पत्नी श्रीमति प्रतिभा को चोट आई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 77/14 अन्तर्गत धारा 279, 337 के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी पालेश को गिरफ्तार कर एवं वाहन जप्त कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 50(1)क/177, 50(1)ख/177 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

(03) आरोपी पालेश को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(काउन्ट्स-2) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 50(1)क/177 एवं आरोपी सूरज को मोटरयान अधिनियम की 50(1)ख/177 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर पढ़कर सुनाई व समझाई गई।

(04) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(1) क्या आरोपी पालेश ने दिनांक 16.05.2014 को समय करीब 9:30 बजे स्थान गाडर पुल परसवाड़ा में रोड थाना परसवाड़ा अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.बी.1775 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

(2) क्या आरोपी पालेश ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर जागेश्वर एवं प्रतिभा को टक्कर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

(3) क्या आरोपी पालेश ने इसी दिनांक समय एवं स्थान पर उक्त वाहन को बिना किसी बैध लायसेंस एवं बीमा के चलाते हुए पाये गया ?

(4) क्या आरोपी पालेश ने इसी दिनांक समय एवं स्थान पर उक्त वाहन के अंतरक होते हुए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना नहीं दी ?

(5) क्या आरोपी सूरज गराडे ने इसी दिनांक समय एवं स्थान पर उक्त वाहन का अंतरिती होते हुए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना नहीं दी?

— :: सकारण — निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 :-

(05) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(06) आरोपी पालेश को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्टस-2) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 50(1)क/177 एवं आरोपी सूरज को मोटरयान अधिनियम की धारा 50(1)ख/177 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीगण को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।

(07) आरोपी पालेश के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्टस-2) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 50(1)क/177 एवं आरोपी सूरज के द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 50(1)ख/177 के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी पालेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्टस-2) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 50(1)क/177 तथा आरोपी सूरज को मोटरयान अधिनियम की 50(1)ख/177 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(08) अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आरोपीगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपीगण के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(09) आरोपी पालेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप में 1000/- (एक हजार) रुपये, 337 (काउन्टस-2) के आरोप में 500-500/- (पांच-पांच सौ) रुपये एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के आरोप में 500/- (पांच सौ) रुपये, 146/196 के आरोप में 1000/- (एक हजार) रुपये, 50(1)क/177 के आरोप में 100/- (एक सौ) रुपये तथा आरोपी सूरज को मोटरयान अधिनियम की धारा 50(1)ख/177

के आरोप में 100/—(एक सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड राशि अदा न किए जाने पर आरोपीगण को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(10) जप्तशुदा वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.बी.1776 सुपुर्दगी पर है। अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दगीनामा भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)